



वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022 (जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022)



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in



The Logo of Right to Information

A sheet of paper with information on it and the public authority behind it, providing the information. This represents people's empowerment through transparency and accountability in governance.



वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2022

(जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022)

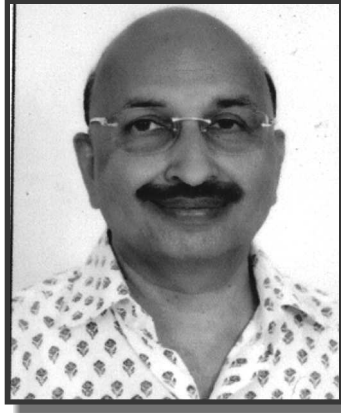


राजस्थान राज्य सूचना आयोग
ओ.टी.एस. के पास, झालाना लिंक रोड, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
www.ric.rajasthan.gov.in

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ सं.
1.	प्रस्तावना	1–2
2.	विशिष्ट अदालत	3
3.	आर.टी.आई. पोर्टल 2.0	4
4.	राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढांचा, बजट एवं अन्य सूचनाएं	5–17
5.	अधिनियम का क्रियान्वयन	18–20
6.	संप्रेषण	21–25
7.	परिशिष्ट	26–42

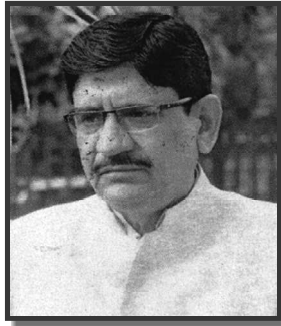
प्रस्तावना



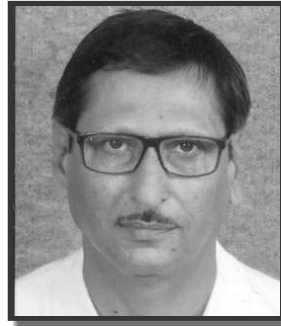
श्री डी.बी. गुप्ता
(मुख्य सूचना आयुक्त)



श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़
(सूचना आयुक्त)



श्री लक्ष्मण सिंह राठौड़
(सूचना आयुक्त)



श्री नारायण बारैठ
(सूचना आयुक्त)



श्रीमति शीतल धनखड़
(सूचना आयुक्त)

सूचना के अधिकार को देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफल संचालन हेतु अत्यन्त प्रासंगिक व आवश्यक माना गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की प्रस्तावना में ही कहा गया है कि 'सूचित नागरिकता' व 'सूचना की पारदर्शिता' प्रभावी लोकतंत्र हेतु इसलिए अपेक्षित है कि इससे प्रशासन में भ्रष्टाचार को समाप्त कर अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य संचालित हो सकेंगे। प्रस्तावना में यह भी बताया गया है कि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण को लेकर सार्वजनिक हितों को नुकसान पहुँचाने का जो अर्थ है, उसे इस अधिनियम के माध्यम से, सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा यही वातावरण आगे जाकर प्रशासन को अपेक्षाकृत कुशल कार्य करने, सीमित राजस्व संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग करने तथा संवेदनशील सूचना का परीक्षण कर उचित निष्कर्ष निकालने में अधिक कारगर सिद्ध होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अधिनियम को प्रशासन के ताले की चाबी माना है।

शासन में जन-जन की भागीदारी सफल लोकतंत्र का मूलमंत्र है। जन सहभागिता एक ओर जहाँ शासन की गुणवत्ता में वृद्धि करती है, वहीं उसके दैनन्दिन कार्यकलापों में पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ावा देती है। प्रश्न यह है कि जन सहभागिता हो कैसे? साधारण जनता कैसे समझे कि सरकार उनका पैसा कैसे खर्च कर रही है, सार्वजनिक योजनाएँ कैसे चलाई जा रही हैं, सरकारी फैसले ईमानदारी व निष्पक्षता से किये गये हैं अथवा नहीं? इसलिए आवश्यक है कि सभी नागरिकों को सूचनाएँ प्राप्त करने का अधिकार हो। अधिनियम से यह मान्यता सरकार द्वारा प्रतिबद्धित हुई कि भारत जैसे लोकतंत्र में सभी कार्यकलाप एवं लेखा-जोखा की पारदर्शिता नागरिकों के लिए वैधानिक व्यवस्था है, अतः आम जनता को सूचना उपलब्ध कराना एक सामान्य कार्य है। हाल के वर्षों में सूचना के अधिकार को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों व आम जनता द्वारा मान्यता देने की दिशा में एक विश्वव्यापी प्रवृत्ति बनी है। नागरिकों को सार्वजनिक नीतियों तथा सरकारी एजेन्सियों द्वारा उनके क्रियान्वयन सम्बन्धी सूचना प्राप्त होने से समाज सशक्त हुआ है।

भारत में सरकारी संस्थाओं के कामकाज में गोपनीयता प्रभावी तौर पर व्याप्त रही है। इस अधिनियम के बनने से दिशा/भावना एवं मानसिकता में परिवर्तन हुआ है। पूर्व में सूचना उपलब्ध कराना एक अपवाद होकर सम्बन्धित अधिकारियों की इच्छा पर निर्भर था। इस अधिनियम के उपरान्त आम नागरिकों को शासन व विकास सम्बन्धी विषयों पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ है। सूचनाओं तक पहुँच के कारण, नीति निर्माण प्रक्रिया को उजागर करने में मदद मिल रही है, जिससे भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास में नवजीवन का संचार हुआ है।

सूचना के अधिकार के लिए 1990 के दशक से अभियान चलाया जा रहा था। वर्ष 2004 में संसद में सूचना अधिकार विधेयक पेश हुआ। 12 मई, 2005 को संसद द्वारा पारित होकर दिनांक 15 जून, 2005 को इसे महामहिम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम की धारा 4(1), 5(1), 5(2), 12, 13, 15, 16, 24, 27 व 28 अविलम्ब प्रभाव में आ गई। इस अधिनियम के शेष उपबंध अधिनियमन के 120वें दिन लागू हुए।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 केन्द्र सरकार, सभी राज्य सरकारों, स्थानीय शहरी निकायों, पंचायती-राज संस्थाओं तथा उन सभी निकायों पर, जो सरकार के स्वामित्व या उसके द्वारा स्थापित, गठित, नियंत्रित अथवा वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन हैं, लागू है। कतिपय न्यूनतम अपवादों के साथ सूचना प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रावधान किए गए हैं। सूचना का अधिकार मूलभूत व संवैधानिक अधिकार बन गया है, जिसे इस अधिनियम ने विधिक रूप से प्रभावी बनाया है। इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात् शासन-प्रशासन में पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है, वहीं आम नागरिकों में भी जागरूकता की भावना बलवती हुई है।

विशिष्ट अदालत

राज्य सूचना आयोग में दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक कुल 13494 द्वितीय अपील एवं 1058 परिवाद लम्बित थे। आयोग द्वारा औसतन प्रतिमाह लगभग 1366 प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है।

लम्बित प्रकरणों की शीघ्र सुनवाई एक ही स्थान पर किये जाने एवं उनके निस्तारण में तीव्रता लाये जाने के लिए विशिष्ट अदालत आयोजित की जा रही है। वर्ष 2022 की प्रथम एवं द्वितीय विशिष्ट अदालत, दिनांक 14 मई, 2022 एवं 28 मई, 2022 को जयपुर नगर निगम से सम्बन्धित लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु आयोग परिसर में आयोजित की गई। दोनों विशिष्ट अदालतों में कुल 570 प्रकरणों में से 544 प्रकरणों (95%) का निस्तारण किया गया। इस विशिष्ट अदालत के माध्यम से नगर निगम जयपुर के लम्बित प्रकरणों को लगभग समाप्त कर दिया गया। जिससे आमजन को बड़ी राहत मिली।

विशिष्ट अदालत के नवाचार को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 06 अगस्त, 2022 को वर्ष 2022 की तृतीय विशिष्ट अदालत उदयपुर संभाग के लिए कलक्ट्रेट परिसर उदयपुर में आयोजित की गई, जहाँ उदयपुर संभाग के 6 जिलों के कुल 301 लम्बित प्रकरणों को 5 न्यायालयों में सुनवाई के लिए रखा गया। अपरिहार्य कारणों से एक अदालत वहां नहीं लगाई जा सकी। चार अदालतों में कुल 237 प्रकरणों में से 234 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। स्थगित 5वीं अदालत की सुनवाई 26 अगस्त 2022 को आयोग परिसर में की गई जिसमें कुल 64 प्रकरणों का शत प्रतिशत निस्तारण किया गया। इस प्रकार उपरोक्त विशिष्ट अदालत के माध्यम से 301 प्रकरणों में से 298 (99%) प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

वर्ष 2022 की चतुर्थ विशिष्ट अदालत 19 नवम्बर, 2022 को आयोग परिसर में आयोजित की गई। इसमें सबसे पुराने, वर्ष 2019 के, दर्ज हुए कुल 419 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया जिसमें से 393 प्रकरणों (94%) का निस्तारण किया गया। इन विशिष्ट अदालतों को आमजन, राजकीय विभागों, मीडिया आदि द्वारा काफी सराहा गया है।

आर.टी.आई. पोर्टल 2.0

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में ऑनलाइन अपीलों व परिवादों को दर्ज करने की सुविधा हेतु आर.टी.आई. पोर्टल 2.0 माह अप्रैल, 2022 से प्रारम्भ किया गया है। इससे पूर्व जिस पोर्टल पर कार्य किया जाता था। उसमें रही कमियों व प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करते हुए यह पोर्टल आरम्भ किया गया है।

इस पोर्टल में आमजन को यह सुविधा सुचारु रूप से दी गई है कि वह आयोग में उपस्थित हुए बिना तथा बिना डाक प्रेषण के अपना परिवाद या द्वितीय अपील सीधे ही ऑनलाईन दर्ज कर सकता है। ऐसे आवेदनों की जाँच (Scrutiny) भी आयोग के कार्मिकों/अधिकारीगण द्वारा ऑनलाईन ही की जाती है तथा कमियाँ पाई जाने पर ऑनलाईन ही आवेदक को अवगत कराया जाता है तथा कमी की पूर्ति हो जाने पर परिवाद/द्वितीय अपील दर्ज कर ली जाती है।

दर्ज द्वितीय अपीलों/परिवादों को न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक भी कम्प्यूटर द्वारा स्वतः दी जाती है। इससे सभी प्राप्त प्रकरणों में कमी/पूर्ति, सुनवाई की दिनांक देने आदि कार्यों से व्यक्तिनिष्ठता (Subjectivity) पूर्णतः समाप्त हो गई है तथा इस प्रकार के सोफ्टवेयर से आयोग के अधिकारी/कार्मिकों के कार्य में प्रगति एवं गति में अत्यधिक सुधार हुआ है।

प्रकरणों में हुए निर्णय भी शीघ्र ही अपलोड कर दिये जाते हैं ताकि प्रार्थी शीघ्र ही निर्णयों से अवगत हो जाए तथा प्रार्थी अपने SSO ID से लॉगइन कर निर्णय प्राप्त कर सकता है।

इस पोर्टल के मार्फत न्यायालयों में चल रहे प्रकरणों में लोक सूचना अधिकारी (SPIO) को अपना पक्ष रखने हेतु प्रत्युत्तर आदि भी ऑनलाइन व ई-मेल से देने की व्यवस्था है, जिससे अधिकारीगण को इस कार्य हेतु आयोग में आने या डाक भेजने की आवश्यकता नहीं रहती है।

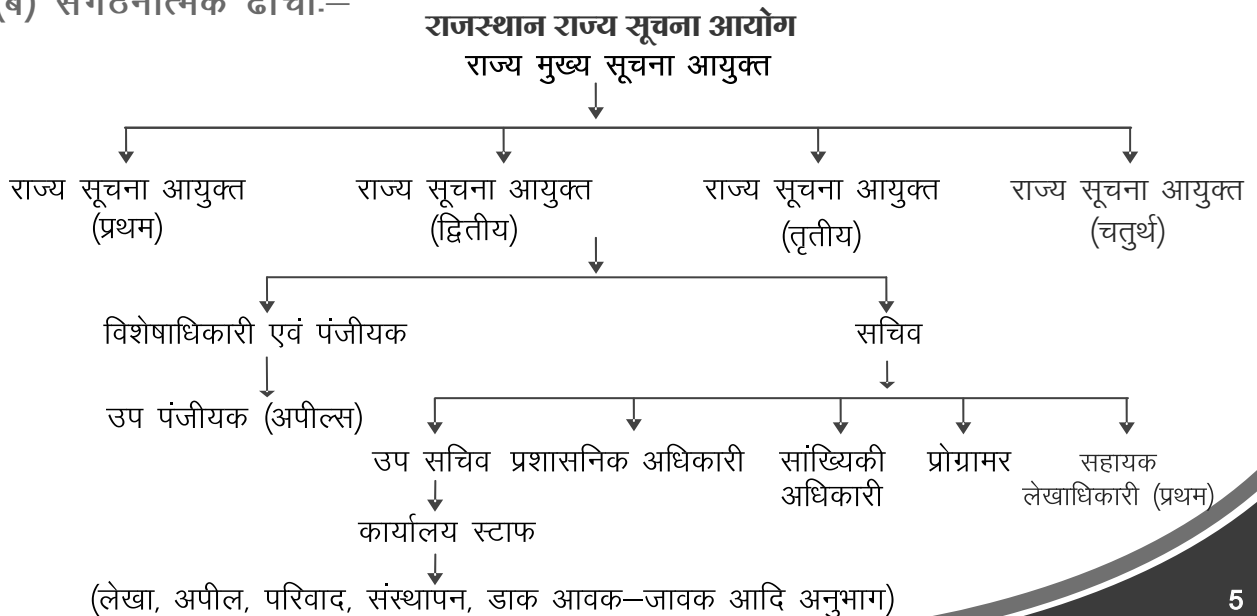
इस पोर्टल में परिवाद/द्वितीय अपील को दर्ज होने से निर्णय होने तक की सभी कार्यवाही की जानकारी बिना आयोग में आए ही प्राप्त की जा सकती है। अतः यह पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना अर्थात् पारदर्शिता (Transparency) व त्वरित न्याय की अवधारणा को शीघ्रता से पूरा कर रहा है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन, संगठनात्मक ढाँचा, बजट व अन्य सूचनाएं

(अ) गठन :—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व आवश्यकतानुसार (अधिकतम दस) राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हो सकते हैं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को किया जाकर राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। राज्य के प्रथम, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी को दिनांक 18.04.2006 को महामहिम राज्यपाल ने पद की शपथ दिलाई। दिनांक 01.09.2010 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। श्री एम.डी. कौरानी का कार्यकाल दिनांक 17.04.2011 को पूर्ण हुआ। तत्पश्चात् द्वितीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री टी. श्रीनिवासन को दिनांक 05.09.2011 को महामहिम राज्यपाल महोदय ने शपथ दिलाई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल को माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक 10.10.2014 को राज्य सूचना आयुक्त के पद की शपथ दिलाई। द्वितीय मुख्य सूचना आयुक्त श्री टी. श्रीनिवासन का कार्यकाल दिनांक 13.08.2015 को पूर्ण होने के पश्चात् तृतीय राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री सुरेश चौधरी तथा राज्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री चन्द्रमोहन मीना एवं श्री आशुतोष शर्मा को दिनांक 06.11.2015 को राज्यपाल महोदय द्वारा शपथ दिलाई गई। डॉ. पी.एल. अग्रवाल का कार्यकाल दिनांक 04.08.2016 को पूर्ण हुआ। दिनांक 03.10.2018 को दो सूचना आयुक्त श्री लक्ष्मणसिंह राठौड़ एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद बरवड़ ने पदभार ग्रहण किया। श्री सुरेश चौधरी का कार्यकाल दिनांक 25.12.2018 को पूर्ण हुआ। दिनांक 10.04.2019 को अपना कार्यकाल पूर्ण कर श्री चन्द्रमोहन मीना सूचना आयुक्त पद से कार्यमुक्त हुए। श्री आशुतोष शर्मा का कार्यकाल दिनांक 05.11.2020 को पूर्ण हुआ। मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री डी.बी. गुप्ता, सूचना आयुक्त के रूप में श्री नारायण बारेठ एवं सूचना आयुक्त के रूप में श्रीमती शीतल धनखड़ ने दिनांक 11.12.2020 को कार्यभार ग्रहण किया। श्री नारायण बारेठ का कार्यकाल दिनांक 30.09.2022 को पूर्ण हुआ। आयोग एक वैधानिक निकाय है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय जयपुर में है।

(ब) संगठनात्मक ढाँचा:—



(स) आयोग के कार्य व शक्तियाँ :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 एवं 25 में सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन है। आयोग नागरिकों से प्राप्त परिवादों की जाँच कर उनको निष्पादित करने, अपील में बतौर अपील अधिकारी निर्णय देने, दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के साथ-साथ अधिनियम की कुशल क्रियान्विति के लिए लोक प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दे सकता है। आयोग के द्वारा अपील/परिवाद पर दिये निर्देश बाध्यकारी हैं। आयोग अधिनियम के क्रियान्वयन का वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य सरकार को प्रेषित करता है, जिसे राज्य सरकार विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करती है।

राज्य सूचना आयोग में निहित शक्तियों का वर्णन निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है :-

(1) परिवाद संबंधी शक्तियाँ:- आयोग के समक्ष नागरिक निम्नलिखित बिन्दुओं पर परिवाद प्रस्तुत कर सकते हैं-

- (क) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण वह आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका है या सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसके सूचना के आवेदन को लेने से इंकार कर दिया है।
- (ख) राज्य लोक सूचना अधिकारी ने उसे आवेदित सूचना देने से इंकार कर दिया है।
- (ग) राज्य लोक सूचना अधिकारी से आवेदित सूचना के बारे में निर्धारित समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
- (घ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा उससे मांगा जा रहा शुल्क तर्क संगत नहीं है।
- (ङ) राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना अधूरी, भ्रामक या मिथ्या लगती है।
- (च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन अभिलेखों के लिये अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से सम्बन्धित किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग का जहां यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जाँच करने के लिये युक्तियुक्त आधार है, वहाँ वह उसके संबंध में जाँच आरम्भ कर सकेगा।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग में परिवाद की जाँच करते समय आयोग में दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ निहित होने के कारण वह सुनवाई प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित कार्यवाही करने में सक्षम है :-

- (क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित करना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या अन्य चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;
- (ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;
- (ग) शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

- (घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना;
- (ङ) साक्ष्यों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिये समन जारी करना; और
- (च) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग किसी परिवाद की जाँच में लोक प्राधिकरण के नियन्त्रण वाले समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर सकता है। किसी भी आधार पर कोई अभिलेख छिपाया नहीं जा सकता, चाहे वह प्रकटीकरण से दी गई छूट की श्रेणी में ही क्यों न सम्मिलित हो।

(2) अपीलीय शक्तियाँ :—

अधिनियम की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकारी के द्वारा दिये गये निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील सुनने का अधिकार धारा 19(3) के अंतर्गत राजस्थान राज्य सूचना आयोग में निहित है।

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रथम अपील के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में विनिश्चय प्राप्त किया गया था या निर्धारित समयावधि में विनिश्चय नहीं होने अथवा विनिश्चय से असंतुष्टि की स्थिति में, 90 दिवस के भीतर की जा सकती है। इस अवधि के गुजरने के बाद भी यदि सूचना आयोग अपीलार्थी के द्वारा बताये गये विलम्ब के कारण से संतुष्ट है तो अपील सुनवाई हेतु दर्ज की जा सकती है।

अपील में सुनवाई की कार्यवाही के दौरान जिस लोक सूचना अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जा रही है, आवेदन की अस्वीकृति के औचित्य के प्रमाणीकरण का भार संबंधित राज्य लोक सूचना अधिकारी का होगा।

धारा 19(7) के तहत सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा।

(3) शास्ति अधिरोपण की शक्तियाँ :—

परिवादों की जाँच के बाद निष्पादन तथा अपील में दिये निर्णय के अन्तर्गत सूचना आयोग को शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। अपील का निर्णय करते समय यदि संबंधित सूचना आयुक्त की यह धारणा बनती है कि लोक सूचना अधिकारी ने बिना समुचित कारण —

- (क) सूचना का आवेदन लेने से मना कर दिया है, या
- (ख) निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है, या
- (ग) सूचना के आवेदन को असद्भावनापूर्वक अस्वीकार कर दिया है, या
- (घ) जान-बूझकर अशुद्ध, अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध कराई है, या
- (ङ) सूचना के आवेदन की विषय-वस्तु को नष्ट कर दिया है, या
- (च) सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की बाधा डाली है,

तो वह उस पर आवेदन प्राप्ति से सूचना उपलब्ध कराने तक रुपये 250/— प्रतिदिन की दर से शास्ति अधिरोपित कर सकता है जो अधिकतम रुपये 25000/— हो सकती है।

शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

इसके अतिरिक्त राज्य लोक सूचना अधिकारी पर यह साबित करने का भार होगा कि उसने सूचना उपलब्ध कराने के लिए विवेक एवं परिश्रम से कार्य किया था।

जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावनापूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है, तो आयोग राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही के लिए सिफारिश करेगा।

(4) अधिनियम की क्रियान्विति को सुनिश्चित करना :—

अधिनियम की धारा 19(8) के अन्तर्गत अपील का निर्णय करते समय राज्य सूचना आयोग अधिनियम की क्रियान्विति सुनिश्चित करने हेतु लोक प्राधिकरण को निम्न निर्देश दे सकता है :—

- (1) सूचना उपलब्ध करवाने बाबत;
- (2) राज्य लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति करने के संबंध में;
- (3) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करवाने के संबंध में;
- (4) अभिलेखों के प्रबन्धन, संधारण, नष्टीकरण की प्रयुक्त प्रथाओं में यथासम्भव परिवर्तन करवाने के संबंध में;
- (5) लोक प्राधिकरण के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार की प्रशिक्षण व्यवस्था करवाने के संबंध में;
- (6) अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपना एक वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में;
- (7) राज्य सूचना आयोग, अपीलार्थी को हुई हानि या क्षति की पूर्ति लोक प्राधिकारी से करवाने के संबंध में;
- (8) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करने के संबंध में;
- (9) आवेदन को नामंजूर करने के संबंध में निर्देश जारी कर सकता है।

अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत आयोग को अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण का अधिकार प्राप्त है। आयोग द्वारा वर्ष की समाप्ति पर अधिनियम के क्रियान्वयन का प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा जाता है। प्रतिवेदन में सामान्यतः निम्न बिन्दुओं पर सूचना प्रस्तुत की जाती है:—

- (1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के द्वारा प्राप्त आवेदनों की संख्या
- (2) निरस्त किये आवेदनों की संख्या
- (3) अपीलों की संख्या एवं उनके परिणाम

- (4) एकत्रित शुल्क की धन राशि
- (5) अधिनियम की भावना या आशय के प्रबंधन एवं क्रियान्वयन के लिए लोक प्राधिकरण द्वारा किये गये प्रयत्नों का विवरण
- (6) सुधार के लिए सुझाव

यदि किसी लोक प्राधिकरण के द्वारा अधिनियम में प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन करते समय कोई ऐसा कार्य किया जाता है, जो अधिनियम के प्रावधानों या भावना से सुसंगत नहीं है, तो वह अधिनियम की धारा 25(5) के तहत प्राधिकरण को ऐसे कदम उठाने की अभिशंषा कर सकता है जो उसकी दृष्टि में उन्हें सुसंगत बनाने में सहयोग करें।

(5) बजट :-

आयोग को वर्ष 2022-23 के लिए राशि रु. 757.00 लाख “ग्रान्ट इन एड” के रूप में आवंटित की गई है। जिसके विरुद्ध राशि रु. 570.00 लाख का व्यय हुआ।

(6) कार्यालय :-

आयोग का कार्यालय, आयोग के गठन से माह अक्टूबर, 2006 तक योजना भवन में एवं माह नवम्बर, 2006 से हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) में कार्यरत रहा। दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 से वित्त भवन, जनपथ में संचालित हुआ तत्पश्चात्, हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM RIPA) परिसर में आयोग को आवंटित भूमि (2500 वर्ग मीटर) पर नवीन कार्यालय भवन निर्माण एवं फर्नीचर हेतु राशि 5.60 करोड़ की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई। निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् नवीन भवन का लोकार्पण दिनांक 19.4.2013 को किया गया तत्पश्चात् दिनांक 19.06.2013 से आयोग का कार्यालय स्वयं के भवन में संचालित हो रहा है।

(7) नियमावली :-

राजस्थान राज्य सूचना आयोग के न्यायिक कार्यों के प्रबन्धन के लिए राजस्थान सूचना आयोग (प्रबन्ध) विनियम 2007 बनाये गये हैं।

(8) क्रियान्विति :-

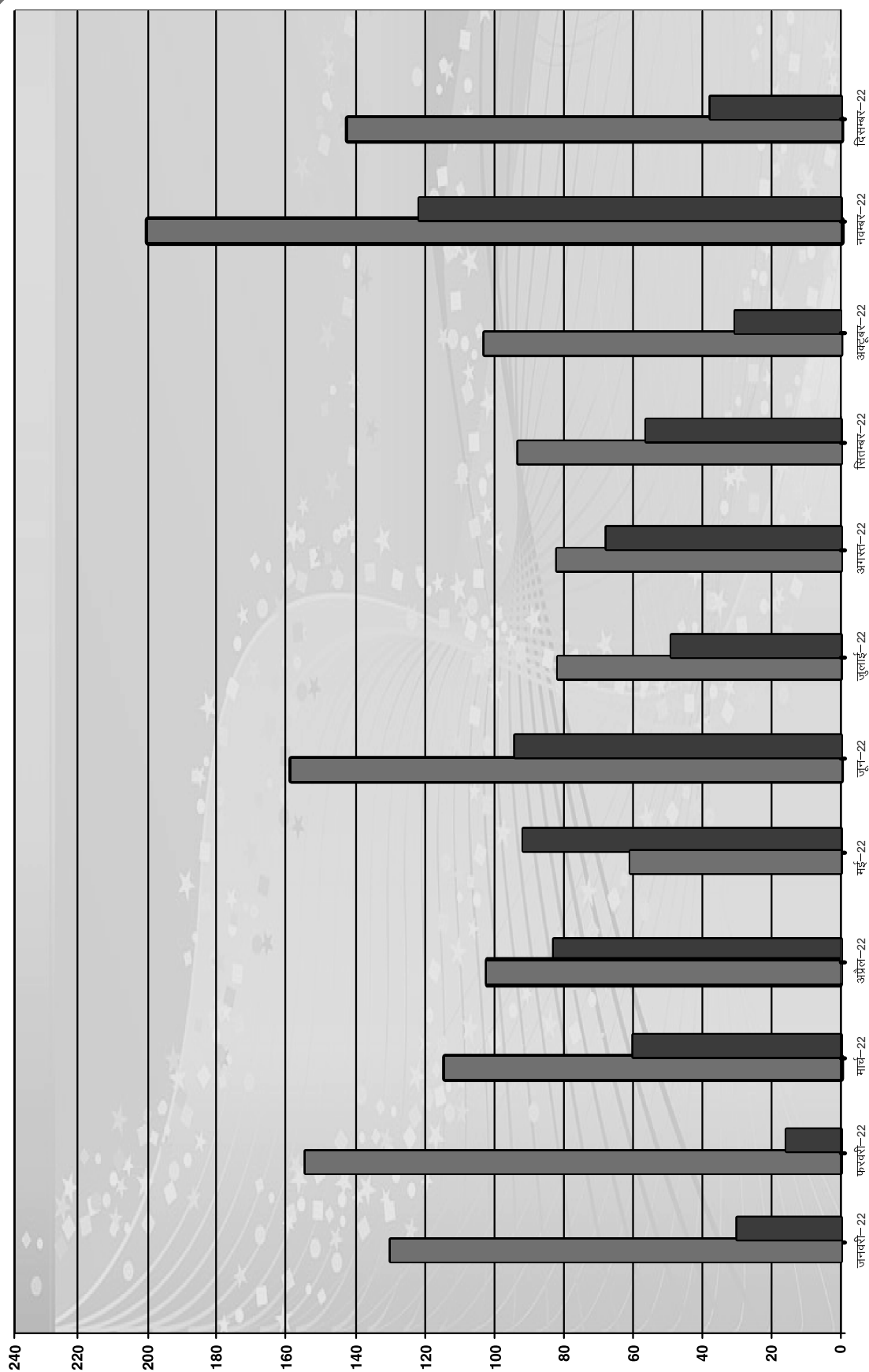
राज्य सूचना आयोग ने अपनी ओर से भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 व धारा 25 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही करते हुए आवश्यक कदम उठाये हैं। राजस्थान में आयोग की स्थापना से लगभग सत्रह वर्ष की अवधि में पूरे राज्य में लोक प्राधिकरणों को अधिनियम की भावना के अनुरूप जागृत करने व तदनुरूप कार्य करवाने में सफलता प्राप्त हुई एवं उसके कार्यकलापों व उसके प्रभावी अस्तित्व की वस्तुस्थिति को जन-जन तक पहुँचाया है। इसी प्रभावशाली प्रचार-प्रसार का ही यह परिणाम रहा कि आज पूरे राज्य में इस अधिनियम के प्रति लोगों

में जागरूकता आई है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के समक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 को 1058 परिवाद एवं 13494 द्वितीय अपीलें लम्बित थी।

वर्ष 2022 (दिनांक 01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022) में “सूचना के अधिकार” को लेकर आयोग के सम्मुख प्रस्तुत परिवादों व अपीलों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार है :-

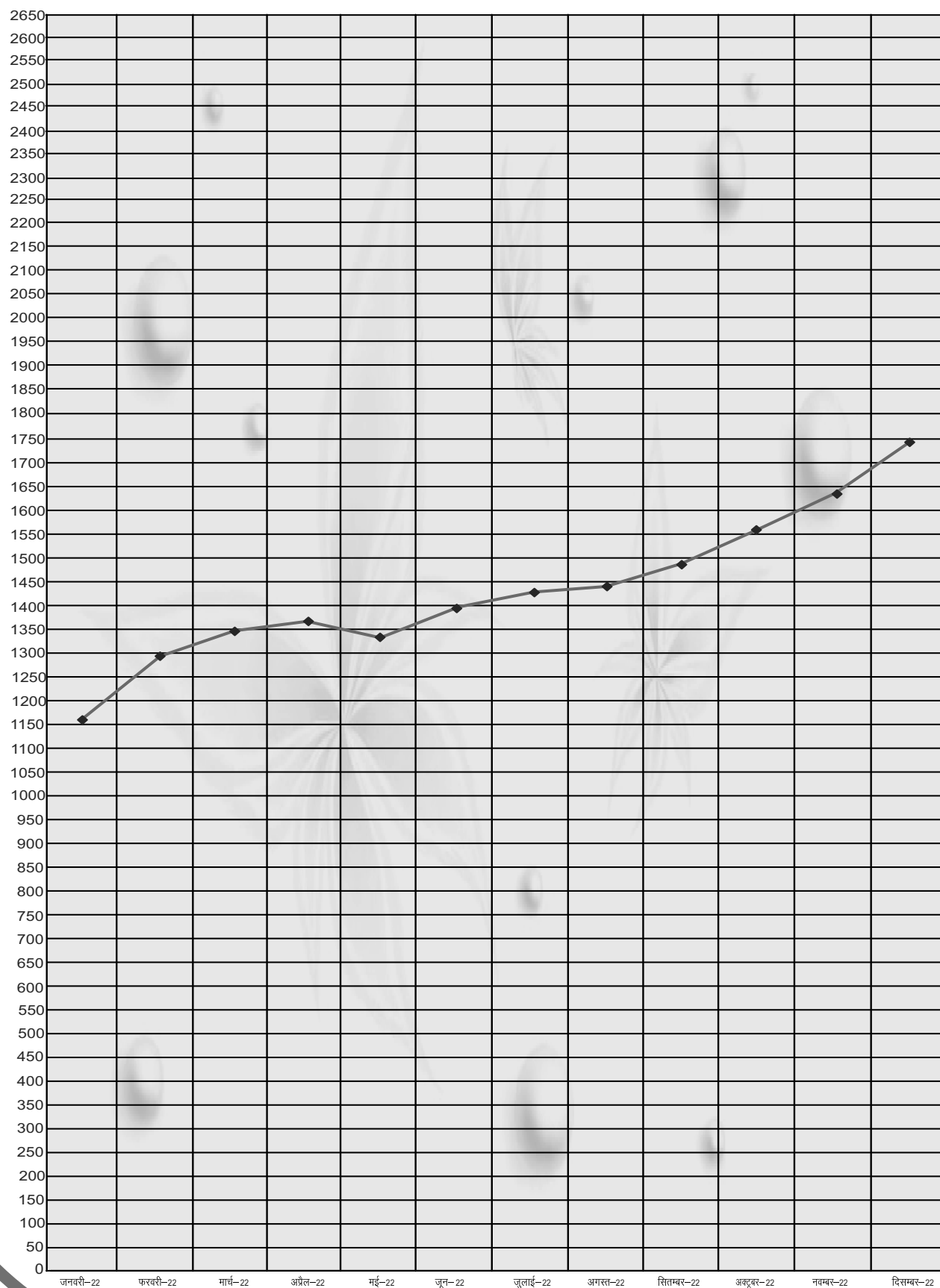
परिवादों का मासिक विवरण

माह	माह के दौरान दर्ज परिवादों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित परिवादों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष परिवादों की संख्या
31 दिसम्बर, 2021			1058
जनवरी, 2022	129	31	1156
फरवरी, 2022	155	17	1294
मार्च, 2022	115	60	1349
अप्रैल, 2022	102	83	1368
मई, 2022	61	92	1337
जून, 2022	158	95	1400
जुलाई, 2022	81	50	1431
अगस्त, 2022	82	68	1445
सितम्बर, 2022	94	57	1482
अक्टूबर, 2022	103	29	1556
नवम्बर, 2022	200	122	1634
दिसम्बर, 2022	142	38	1738
योग	1422	742	



■ पंजीकृत ■ निस्तासित

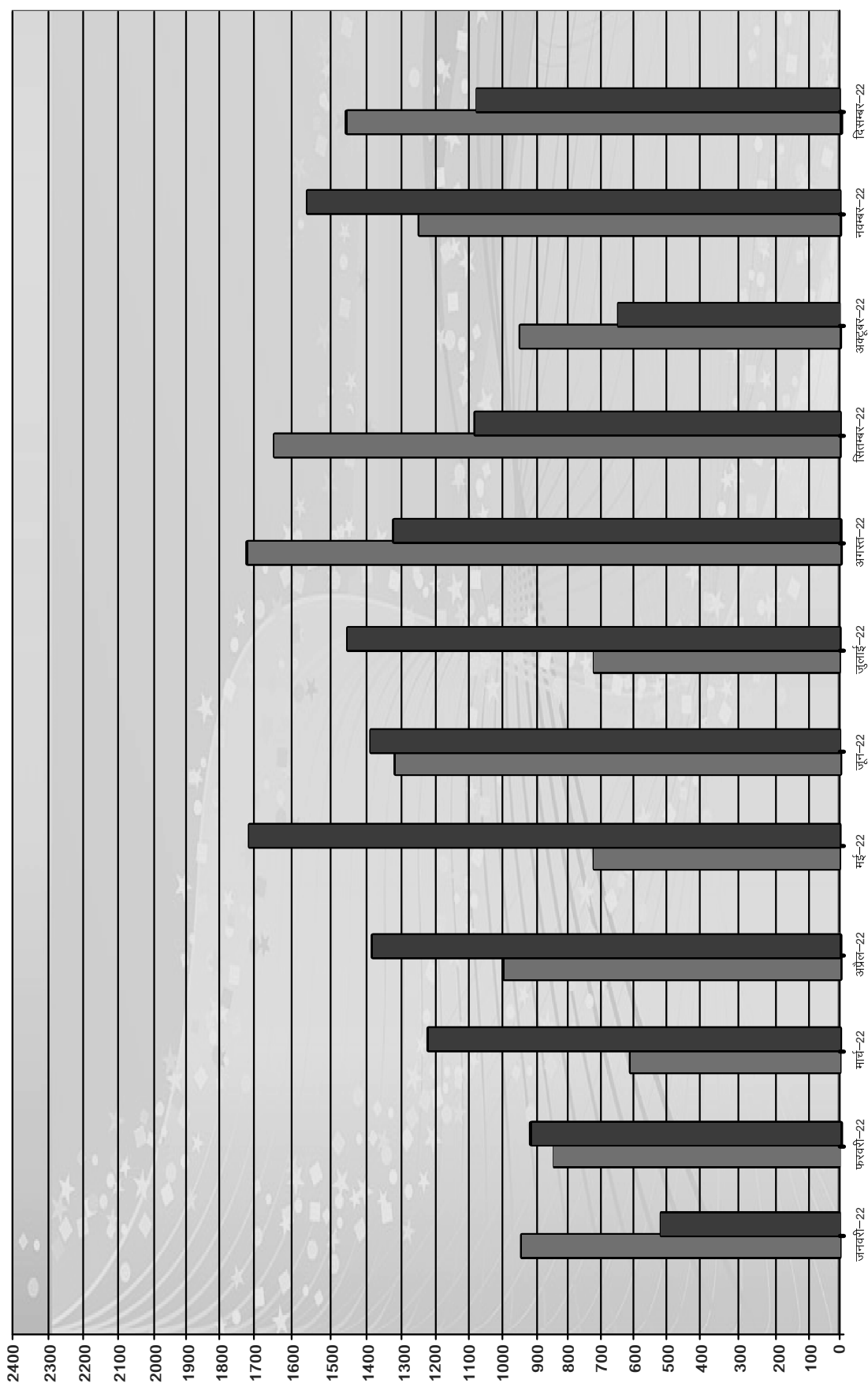
परिवादों का विवरण



लम्बित परिवारों का विवरण

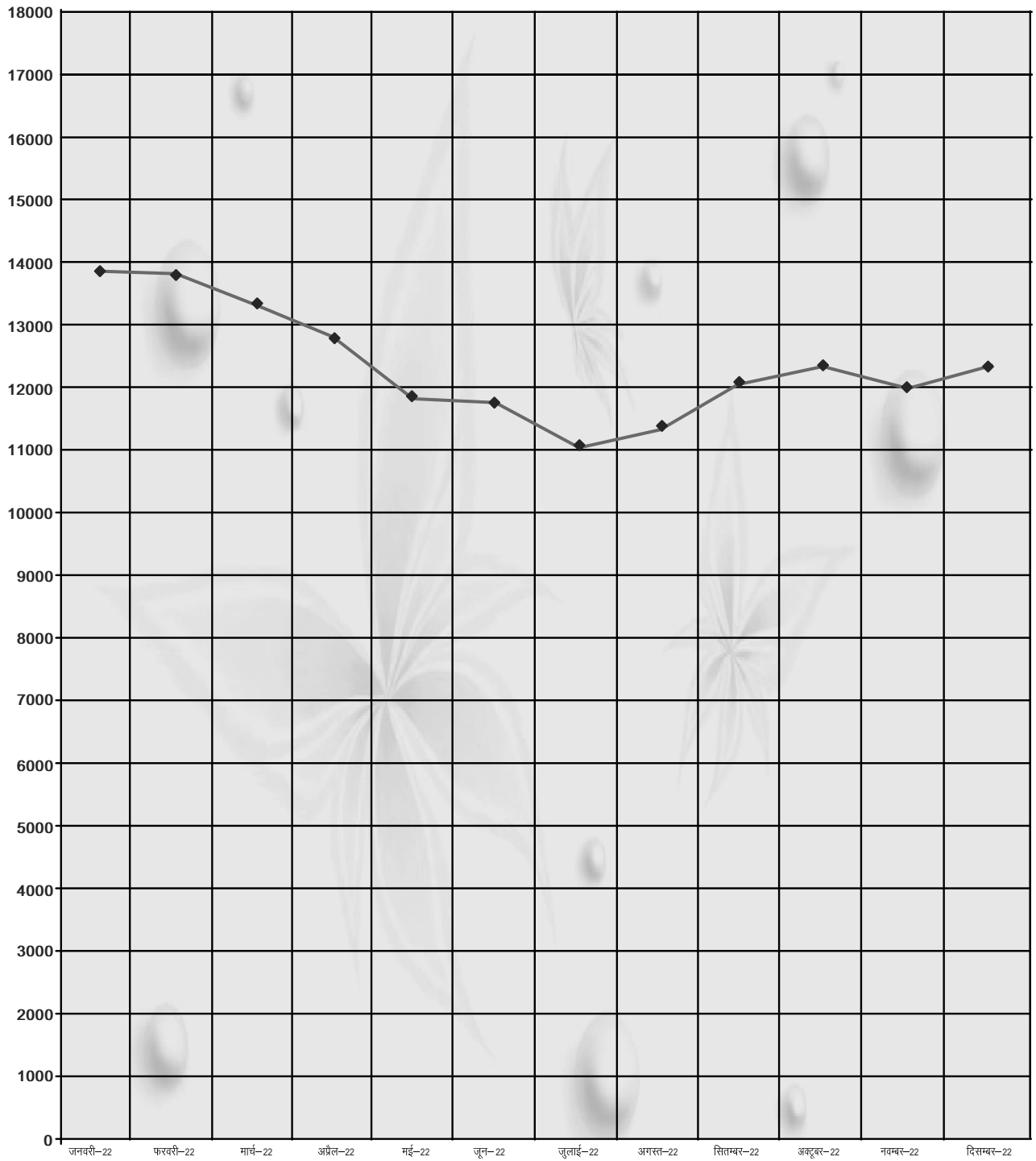
द्वितीय अपीलों का मासिक विवरण

माह	माह के दौरान प्राप्त अपीलों की संख्या	माह के दौरान निस्तारित अपीलों की संख्या	संचयी प्रभाव से शेष अपीलों की संख्या
31 दिसम्बर, 2021			13494
जनवरी, 2022	955	514	13935
फरवरी, 2022	839	919	13855
मार्च, 2022	604	1219	13240
अप्रैल, 2022	997	1384	12853
मई, 2022	721	1710	11864
जून, 2022	1321	1397	11788
जुलाई, 2022	718	1447	11059
अगस्त, 2022	1710	1310	11459
सितम्बर, 2022	1646	1085	12020
अक्टूबर, 2022	946	665	12301
नवम्बर, 2022	1258	1562	11997
दिसम्बर, 2022	1467	1079	12385
योग	13182	14291	



■ पंजीकृत ■ निस्तारित

द्वितीय अपीलों का विवरण



लम्बित द्वितीय अपीलों का विवरण

(9) लोक सूचना अधिकारी :- पदनामित व प्रशिक्षण

राज्य के सभी प्रशासनिक विभागों को अपने-अपने विभाग के लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को पदाविहित करने के निर्देश दिये गये। लगभग सभी विभागों/कार्यालयों ने अपने यहाँ राज्य लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपील प्राधिकारी की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिये हैं।

“सूचना के अधिकार” कानून के विषय को प्रशिक्षण का भाग बनाया है। प्रशिक्षण के मुख्य केन्द्र एच.सी.एम.रीपा, (H.C.M. RIPA) इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (RICEM) व अन्य संस्थाएं हैं, जो विकेन्द्रीकृत रूप से भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं।

(10). शास्ति एवं क्षतिपूर्ति

आयोग द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अधिनियम की भावना के अनुरूप कार्यवाही न करने पर आलोच्य वर्ष 2022 (माह जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022 तक) में अधिरोपित शास्ति, लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं इसके विरुद्ध जमा राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

विवरण	शास्ति (रुपयों में)		क्षतिपूर्ति (रुपयों में)	
	अधिरोपित	प्राप्त राशि	लगाई गई	भुगतान किया गया
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील/परिवाद जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022	27,99,500	16,32,176	67,500	—
योग	27,99,500	16,32,176	67,500	—

शास्ति की प्रभावी वसूली एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान कराने हेतु किये जाने वाले प्रयास :—

सूचना आयोग के निर्णयानुसार अधिरोपित शास्ति राशि आयोग में जमा कराने एवं क्षतिपूर्ति राशि का अपीलार्थी को भुगतान करने हेतु विभागों को कई स्मरण पत्र प्रेषित करने के बाद भी राशि जमा नहीं कराई जाती है, अतः उक्त अधिरोपित राशि को आयोग में जमा कराने तथा क्षतिपूर्ति राशि का सम्बन्धित अपीलार्थी को भुगतान कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही के लिये सम्बन्धित लोक प्राधिकरणों को पत्र लिखे गये। प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को शास्ति राशि जमा कराने के संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु समय-समय पर शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्र लिखे गये हैं।

इसके अतिरिक्त शास्ति एवं क्षतिपूर्ति की प्रभावी वसूली/अदायगी हेतु विभिन्न विभागों की ऑडिट के दौरान अंकेक्षण अनुच्छेद (audit para) के रूप में सम्मिलित किये जाने के क्रम में आयोग के सुझाव को राज्य सरकार द्वारा स्वीकार कर निर्देश जारी किये गये हैं।

दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 तक अधिरोपित शास्ति एवं प्राप्त राशि तथा लगाई गई क्षतिपूर्ति एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान का विवरण :—

विवरण	अधिरोपित शास्ति	प्राप्त शास्ति	लगाई गई क्षतिपूर्ति	भुगतान की गई क्षतिपूर्ति
1	2	3	4	5
द्वितीय अपील/परिवाद (31 दिसम्बर, 2022 तक)	5,22,99,750	2,49,54,841	9,52,400	5,42,000

नोट :— इस प्राप्त शास्ति राशि में कमशः 16,32,176/— वर्ष 2022 (जनवरी, 2022 से दिसम्बर, 2022) की है, शेष राशि पूर्व वर्षों की है।

अधिनियम का क्रियान्वयन

‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सम्पूर्ण देश में लागू होने के उपरान्त राजस्थान राज्य ने ‘राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005’ दिनांक 13.10.2005 को राजपत्र में प्रकाशित कर इसे प्रभावी बनाया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन दिनांक 13.04.2006 को हुआ तथा दिनांक 18.04.2006 को प्रथम राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में श्री एम.डी. कौरानी ने पदभार संभाला। आयोग की प्रशासनिक व्यवस्था हेतु रजिस्ट्रार, सचिव व प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति/पदस्थापन हुआ है। प्रशासनिक कार्य की समुचित व्यवस्था, परिवादों व द्वितीय अपीलों का पंजीकरण, सुनवाई व निर्णय प्रक्रिया के साथ ही लेखों का उचित संधारण व अन्य व्यवस्थाएँ आवश्यकतानुसार प्रारम्भ की गई। प्रारम्भ में आयोग कार्यालय हेतु हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जे0 एल0 एन0 मार्ग, जयपुर के परिसर में अन्तरिम व्यवस्था की गई। आयोग के स्वतन्त्र भवन के निर्माण हेतु झालाना लिंक रोड पर हरिश्चन्द्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान परिसर में राज्य सरकार द्वारा 2500 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है, जिस पर नवीन भवन निर्मित होने पर आयोग का कार्यालय दिनांक 19.06.2013 को वर्तमान भवन में स्थानांतरित किया गया है।

राज्य सरकार व सूचना आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप सचिवालय स्तर पर उप सचिवों/संयुक्त शासन सचिवों को अपने-अपने विभागों हेतु राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है तथा साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रमुख शासन सचिवों/शासन सचिवों को उन पर प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। विभिन्न राजकीय विभागों हेतु भी लोक सूचना अधिकारीगणों व उनके प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हो चुकी है। निगमों, मण्डलों व स्वायत्तशासी संस्थाओं हेतु वहां के महाप्रबन्धकों/प्रबन्धकों/सचिवों/निदेशकों को राज्य लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है, उनके अध्यक्षों/प्रबन्ध निदेशकों/प्रशासकों को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है। नगर पालिकाओं/परिषदों/निगमों हेतु वहां के अधिशासी अधिकारी/आयुक्तगण लोक सूचना अधिकारी हैं, तो वहां के अध्यक्ष/सभापति/महापौर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायतों/पंचायत समितियों/जिला परिषदों हेतु वहां के ग्राम विकास अधिकारी/विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सरपंच/प्रधान/जिला प्रमुख प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशिक्षण केन्द्रों, शोध

संस्थानों, राजकीय उपक्रमों तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित संस्थाओं हेतु लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति के आदेश प्रसारित किए गए हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारियों को ये भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपना नाम-पट्ट ऐसी मुख्य जगहों पर प्रदर्शित करें कि जहाँ प्रत्येक नागरिक को यह ज्ञात हो सके कि उसे कहां और किससे इस अधिनियम के तहत सूचना प्राप्त करनी है। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि वे अपने रिकार्ड को अद्यतन कर उसका स्वयंमेव प्रकाशन करें व वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें, ताकि सूचना चाहने वाले को कार्यालयों में चक्कर न लगाना पड़े। कई विभागों ने विस्तृत पुस्तिकायें भी तैयार कर वितरित की हैं जो उनके विभाग के बारे में जनता को व्यापक सूचना उपलब्ध कराती हैं। धारा 4 के अन्तर्गत ऐसा प्रकाशन आवश्यक है। विभागाध्यक्ष का यह भी कर्तव्य है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत उनके विभाग में प्राप्त आवेदनों/प्रथम अपीलों का विहित अवधि में निस्तारण/निर्णय हो। इसके साथ-साथ आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों में पारित आदेशों की पालना भी सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/लोक प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र, प्रथम अपील व उनके निस्तारण की स्थिति **परिशिष्ट** पर है।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) में यह अपेक्षा की गई है कि प्रत्येक लोक प्राधिकारी अपने सभी अभिलेखों को सम्यक् रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुगम बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर संपूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुँच को सुगम बनाया जा सके।

धारा 4(1) (ख) लोक प्राधिकरणों से व्यापक किस्म की सूचनाओं को स्वैच्छिक रूप से प्रकाशन की मांग करता है, भले ही किसी ने विशिष्ट तौर पर उन सूचनाओं के लिए निवेदन न किया हो। आयोग द्वारा इसकी क्रियान्विति हेतु एवं प्रकट की गई सूचनाओं में एकरूपता लाने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग (नोडल विभाग) द्वारा प्रारूप (**template**) बनाकर सभी विभागों को प्रेषित किये गये हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू होने के लिये आवश्यक है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के बारे में आम नागरिकों को सहज एवं सुलभ जानकारी हो। जिला कलक्टर प्रत्येक जिले का मुख्य कार्यालय होने तथा जिले के सभी कार्यालयों का व्यावहारिक रूप से समन्वयक कार्यालय होने के कारण उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इस दिशा में सूचना का अधिकार की जिला निर्देशिका का प्रकाशन महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। जिला कलक्टरों से अपेक्षा की जाती है कि वे जिला निर्देशिका बनावें एवं इसे प्रतिवर्ष नियमित रूप से अद्यतन (up-date) करने की कार्यवाही करें।

प्रत्येक राज्य लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के कार्यालय में लोक सूचना के आवेदनों की प्राप्ति, निस्तारण एवं अन्य पत्राचार आदि के संधारण का समुचित अभिलेख संधारित होना चाहिये। लम्बित अपीलों/परिवादों आदि में हुये निर्णयों का समुचित अभिलेख भी संधारित होना चाहिये।

सूचना का अधिकार अधिनियम आने के उपरांत, वर्षों से व्याप्त गोपनीयता का तानाबाना लिये अधिकारियों की सोच में परिवर्तन आ रहा है। सूचना का अधिकार अधिनियम आने के पश्चात् इस अल्प समय में प्रार्थना पत्रों के निपटारे, अपीलों के निपटारे से तथा आयोग के समक्ष पेश अपीलों और शिकायतों को देखते हुये कहा जा सकता है कि अधिनियम की क्रियान्विति उत्साहवर्धक है।

संप्रेक्षण

सूचना का अधिकार अधिनियम जून, 2005 में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू हुआ। इसके पश्चात् लगभग सत्रह वर्ष का समय यह अधिनियम देख चुका है। सूचना आयोग स्तर पर आम नागरिकों, अधिकारीगणों व संस्थाओं के प्रतिनिधिगणों के बीच परिवादों/द्वितीय अपीलों की सुनवाई के दौरान तथा बैठकों व अन्य अवसरों पर अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों व इसमें निहित व्यवस्थाओं, कठिनाईयों व समस्याओं पर विचारों का आदान-प्रदान होता रहा है। इन्हीं चर्चाओं के दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आई हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. अधिनियम के बारे में आम जनता में सामान्य तौर पर एक सकारात्मक सोच व सापेक्ष अवधारणा है। इसे लेकर जनता में नई अपेक्षाएँ व आशाएँ भी जागी हैं। जनता इस अधिनियम को उनके व विभिन्न सरकारी विभागों व संगठनों के बीच आने वाली दैनन्दिन समस्याओं के समाधान की एक कड़ी के रूप में देख रही है।
2. समय के साथ-साथ ज्यादा से ज्यादा लोग इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत सूचनाओं की माँग कर रहे हैं।
3. सूचना चाहने वालों को सामान्यतया इस सीमा तक सूचना प्रदत्त कराई जा रही है, जहाँ तक वह चलित पत्रावलियों में उपलब्ध है।
4. सूचना के अधिकार के विषय में अभी जनता को और जागरूक करने की आवश्यकता है। इस हेतु कुछ अधिक प्रयास करने होंगे और यह आश्वस्त करना होगा कि साधारण जनता इस अधिनियम का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सके व लाभ उठावे। इस दिशा में राजकीय स्तर पर और विशेष प्रयास किये जाने चाहिये।
5. राज्य सरकार को इस प्रक्रिया में हर विभागीय स्तर पर लोक सूचना अधिकारीगण की नियुक्ति के बिन्दु पर आश्वस्त होकर यह देखना होगा कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी इस क्षेत्र में पूर्णतया प्रशिक्षित भी हो। लगभग सत्रह वर्ष बीत जाने के पश्चात भी अभी हर वांछित स्तर पर लोक सूचना अधिकारी पदाभिहित नहीं हुआ है। उनकी नियुक्ति से लेकर उनका व्यावहारिक रूप से पूर्णतया प्रशिक्षित होना तथा अन्त में उनकी मानसिकता में इस विषय का सापेक्ष रूप से समावेश

होना आज की पहली आवश्यकता है। सूचना का अधिकार के प्रति सरकारी अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा सकारात्मक मानसिकता के लिए और प्रेरित किये जाने की आवश्यकता है।

6. राज्य के अनेक लोक सूचना अधिकारीगण तथा प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के स्तर तक, जिनका इस अधिनियम के अन्तर्गत कदम उठाने व कार्यवाही करने से संबंध है, इस अधिनियम सम्बन्धी विधिक पुस्तक/पुस्तिकाएँ, साहित्य व अन्य प्रकाशित सामग्री नहीं पहुँच पाई है जिसके अभाव में उनका इस विषय का आदिनांक तक ज्ञान अधूरा सा है। इस हेतु तुरन्त व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
7. यह भी पाया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन लोक सूचना अधिकारीगण से आवश्यक कदम उठाने या कार्यवाही करने की अपेक्षा है, वे इस विषय में स्वयं उचित ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। सामान्यतया वे इस कार्य को अपने कार्यालय के लिपिकों के भरोसे छोड़ रहे हैं जिन्हें विषय की विधिक बारीकियों का वह ज्ञान नहीं होता, जिसकी इस प्रकार की अर्द्ध न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यकता होती है। राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी नोटिस पर भी लोक सूचना अधिकारीगण सुनवाई के समय स्वयं उपस्थित नहीं होकर अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रतिनिधि के रूप में भेजते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत मुख्य सचिव के आदेश के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। अतः इस मामले में गंभीरता बरतने की आवश्यकता है।
8. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी राज्य लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का अधिकारी होता है। व्यवहार से देखने में आया है कि कुछ लोक प्राधिकरणों में पर्याप्त संख्या में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त नहीं हैं। अन्य राजकार्यों में व्यस्तता के कारण ऐसे प्राधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रथम अपीलों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण प्रथम अपीलों में उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णय प्रायः गुणवत्तापूर्ण नहीं होते हैं अथवा उनका निस्तारण निर्धारित समय-सीमा के अन्दर नहीं हो रहा है, साथ ही प्रथम अपीलों में पारित निर्णयों की समुचित क्रियान्विति नहीं होने से अपीलार्थी को विवश होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलें/परिवाद दायर करने पड़ रहे हैं। चूंकि प्रथम अपील अधिकारी लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ है। अतः प्रथम अपील का समय पर निर्णय एवं उनके निर्णय की पालना करवाया जाना विभागीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावे।
9. राज्य सरकार के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम हेतु नोडल विभाग का दायित्व

प्रशासनिक सुधार विभाग को दिया गया तथा इसके समुचित पर्यवेक्षण व मोनिटरिंग हेतु इस विभाग में एक डेडीकैटेड सैल भी गठित किया गया है, जो अधिनियम की क्रियान्विति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस डेडीकैटेड सैल का पुनर्गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस सैल द्वारा सभी जिलों में जिला कलक्टर कार्यालय में समय-समय पर जिले के अधिकारियों (राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी) की बैठक रखी जावे। बैठक में अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की क्रियान्विति के विषय में अधिनियम के प्रावधानों/भारत सरकार व राज्य सरकार के निर्देशों की जानकारी देकर उनकी कठिनाईयों व शंकाओं का समाधान आपसी विचार विमर्श के द्वारा किया जावे, जिससे उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्य करने में सहायता प्राप्त हो व इस कार्य में उनकी मानसिकता में परिवर्तन हो सके। यह सैल निरीक्षण व समीक्षा का कार्य भी करेगा। प्रशासनिक सुधार विभाग ने वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के साथ-साथ राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा जारी महत्वपूर्ण निर्देशों/परिपत्रों को उपलब्ध कराया है। इसके अतिरिक्त अपील प्राधिकारी व लोक सूचना अधिकारियों के उपयोगार्थ “हस्तपुस्तिका” तैयार कर उसे भी उपलब्ध कराया गया तथा यह कार्य निरन्तर किया जा रहा है जिससे अधिकारीगण अधिनियम की भावना के अनुरूप उचित रूप से कार्य कर सकें।

10. अधिनियम की धारा – 4 (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक लोक प्राधिकरण न सिर्फ अपने रिकॉर्ड का उचित संधारण करेगा, बल्कि वह उसका स्वैच्छिक रूप में प्रकाशन कर इसे जनता को अवलोकनार्थ उपलब्ध करायेगा। प्रावधान की पालना में अनेकों विभागों ने अपनी “वेबसाइट” पर कुछ सूचनाएँ उपलब्ध करवाई हैं, परन्तु अभी तक स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है क्योंकि प्रथम तो आम आदमी से जुड़ी अनेक बातों का इन ‘वेबसाइट्स’ में समावेश नहीं हो पाया है और दूसरे, इन्हें समय समय पर अद्यतन (अपडेट) करने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। तीसरे, अनेक सूचनाओं को निर्धारित छपे फार्म में प्रकाशित एवं वितरित नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप जो कुछ बन कर तैयार भी हुआ है वह पत्रावलियों के भीतर ही सिमट कर रह गया है, जानकारी हेतु खुले में नहीं आ पाया है। धारा 4(1) के तहत स्वैच्छिक पारदर्शिता के प्रति सरकारी विभाग अधिक सकारात्मक एवं सक्रिय रहेंगे तो सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रयोग की आवश्यकता ही न्यून होगी। इससे पारदर्शिता से सुशासन का उद्देश्य स्वयंमेव ही पूर्ण होगा।

प्रदेश में जनसूचना पोर्टल की शुरुआत कर उसमें अधिनियम की धारा 4(2) के तहत राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं तथा उसमें लाभार्थियों के विवरण को रियल टाइम सार्वजनिक किया जाना अच्छी पहल है। इसमें अन्य सूचनाओं को जोड़कर इसका दायरा बढ़ाना समय की मांग है।

11. अधिनियम की धारा 2 (ज)घ(ii) में उल्लिखित “गैर सरकारी संगठन” जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारभूत रूप से सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित हैं, वे इसमें प्रावधित व्यवस्थाओं से बंधे हैं। व्यावहारिक रूप में ऐसी अनेक संस्थाएँ हैं जो सरकारी सहायता प्राप्त कर रही हैं। इन संस्थाओं को भी अधिनियम के प्रावधानों की प्रभावी पालना करनी चाहिये।
12. यह कि विभागों द्वारा अपने-अपने “रिकॉर्ड्स” का सही रख-रखाव नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप चाही गई सूचनाएँ उपलब्ध करा पाना कठिन हो रहा है और इसी बहाने बहुत सारे प्रार्थना-पत्रों पर सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने से इन्कार किया जा रहा है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, बोर्डों, निगम, आयोग, समितियों आदि के अभिलेखों के सुरक्षित संधारण, प्रबन्धन आदि के लिए राजस्थान में भी भारत सरकार व अन्य कुछ राज्यों में प्रचलित पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट की तरह राजस्थान स्टेट पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जैसे कानून शीघ्र बनाने का सुझाव है।

जैसे-जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सूचना का अधिकार अधिनियम परिपक्वता की धारणा लिए हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन हेतु परिलक्षित हो रहा है एवम् यह अधिकार उन्हें धरातल का अनुभव करा रहा है। जहाँ अधिकारियों की रिकॉर्ड पर पकड़ नहीं है वहाँ अधिकारीगण/कर्मचारीगण इसके लिए प्रयासरत हैं। भविष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम में गर्भित उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही व खुलापन में उत्तरोत्तर विकास होगा, जो प्रजातन्त्र के मुख्य उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होगा।

13. राजस्थान राज्य सूचना आयोग में मानव संसाधन पर्याप्त नहीं है जिसका प्रभाव इसकी कार्यशैली पर पड़ता है। दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 को आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त व चार सूचना आयुक्त सहित 84 पद स्वीकृत है। इनमें से 76 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है। 8 पद रिक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, की धारा 16(6) के अंतर्गत प्रावधान है कि राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और

कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों। अतः आयोग में बढ़ते कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए एवं प्रभावी कार्य किये जाने हेतु राज्य सरकार को आयोग में कार्मिकों की भर्ती हेतु विशेष भर्ती नियम बनाने हेतु सुझाव दिनांक 15.01.2013 को प्रेषित किये गये हैं जो कि राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं। इनका शीघ्र अनुमोदन राज्य सरकार से अपेक्षित है। साथ ही अंतरिम काल में राज्य सरकार द्वारा रिक्त पदों पर नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति की जानी चाहिये जिससे आयोग का काम सुगमता से संचालित हों।

14. आयोग द्वारा द्वितीय अपीलों/परिवादों में अधिरोपित शास्ति को जमा कराने की प्रगति अत्यन्त धीमी है। विभागों/लोक प्राधिकरणों से बार-बार पत्राचार करना पड़ता है जबकि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(7) के अन्तर्गत आयोग के आदेश बाध्यकारी हैं। प्रत्येक कार्यालय में लोक सूचना अधिकारियों के पर्यवेक्षणीय अधिकारियों (Supervisory officers) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समीक्षा बैठकों में सूचना का अधिकार अधिनियम के बिन्दुओं को समीक्षा एजेण्डा में शामिल करें। इसके लिये प्रत्येक कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम का लेखा-जोखा रजिस्टर संधारित करने से समीक्षा की सहूलियत रहेगी। साथ ही कार्यालय द्वारा अपीलों के जवाब आदि में भी अवांछित विलम्ब से बचा जा सकेगा। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आयोजित जिला कलेक्टर सम्मेलन के एजेण्डा बिन्दु में भी सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति को भी शामिल किया जाना चाहिए। सभी लोक प्राधिकरणों को आयोग द्वारा अधिरोपित क्षतिपूर्ति की राशि स्वतः शीघ्र जमा कराया जाना एवं अधिरोपित शास्ति राशि सम्बन्धित दोषी राज्य लोक सूचना अधिकारी से वसूल कर आयोग में जमा कराया जाना अपेक्षित है।

सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022) तक

प्रपत्र-क

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना		अस्वीकृत	शेष	वर्ष 2022 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि	समयावधि बाद			
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	776	740	16	8	12	15473
2	आयुर्वेद विभाग	1841	1553	217	19	52	33593
3	गृह विभाग	41180	37887	310	2062	921	971096
4	वित्त विभाग	12053	11126	570	54	303	429642
5	पर्यावरण विभाग	80	73	0	7	0	440
6	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	831	827	0	0	4	8212
7	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	384	285	85	7	7	6582
8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	8954	6799	1179	0	976	591490
9	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	11	11	0	0	0	180
10	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	660	527	0	132	1	7284
11	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	288	288	0	0	0	9225
12	राज. शिक्षा कर्मी बोर्ड	17	5	0	12	0	212
13	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	99	98	0	1	0	590
14	आयोजना विभाग	335	321	5	7	2	5828
15	एच.सी.एम. रीपा	25	25	0	0	0	1938
16	विधि, विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	324	140	40	144	0	1670
17	उर्जा विभाग	10926	8771	1293	87	775	154948
18	जल संसाधन विभाग	1202	1068	50	78	6	56115
19	तकनीकी शिक्षा विभाग	661	616	42	0	3	11535
20	राजभवन, जयपुर	331	331	0	0	0	5123
21	सामान्य प्रशासन विभाग	850	827	23	0	0	13560
22	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	7057	6021	886	78	72	87791
23	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	90	70	20	0	0	730
24	सहकारिता विभाग	3986	3845	73	32	36	167639

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2022 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
25	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	1559	1462	5	64	28	84654
26	कृषि विभाग	2369	2160	122	33	54	69528
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग	3274	3066	140	29	39	116240
28	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	84	84	0	0	0	1034
29	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	1294	1203	52	33	6	29892
30	पर्यटन विभाग	158	129	9	11	9	3607
31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	1237	1164	54	10	9	14302
32	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	867	625	174	63	5	9351
33	उच्च शिक्षा विभाग	1736	1504	199	22	11	23898
34	देवस्थान विभाग	1088	1043	11	9	25	65419
35	वन विभाग	1733	1408	143	86	96	978789
36	निर्वाचन विभाग	1003	771	59	39	134	15749
37	राजस्थान राज्य महिला आयोग	110	110	0	0	0	3400
38	जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	68	68	0	0	0	210
39	कार्मिक विभाग	1458	1450	4	4	0	24562
40	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	2377	1831	189	151	206	23681
41	चिकित्सा शिक्षा विभाग	1506	1205	186	47	68	26630
42	परिवहन विभाग	2623	2546	29	0	48	31507
43	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	559	546	0	0	13	10208
44	स्वायत्त शासन विभाग	15563	11538	1091	927	2007	413244
45	पशुपालन विभाग	437	235	110	39	53	14022
46	कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	179	169	0	7	3	6366
47	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	5	5	0	0	0	10
48	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	609	568	28	7	6	4778
49	युवा मामले एवं खेल विभाग	95	90	1	3	1	1094
50	लोकायुक्त सचिवालय	434	434	0	0	0	29958
51	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	1016	1013	0	3	0	8301
52	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	1052	664	350	13	25	25002

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2022 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
53	उपनिवेशन विभाग	384	318	26	33	7	6090
54	सैनिक कल्याण विभाग	125	125	0	0	0	920
55	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	124	124	0	0	0	750
56	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	258	255	2	1	0	8898
57	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0	0	0
58	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	1254	1187	15	34	18	17187
59	पंचायतीराज विभाग	16525	15084	621	483	337	239879
60	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	39	39	0	0	0	1824
61	संभागीय आयुक्त जयपुर	187	187	0	0	0	10419
62	संभागीय आयुक्त जोधपुर	131	130	1	0	0	1774
63	संभागीय आयुक्त भरतपुर	55	54	0	1	0	1170
64	संभागीय आयुक्त कोटा	54	49	0	5	0	3076
65	संभागीय आयुक्त अजमेर	152	143	0	6	3	3282
66	संभागीय आयुक्त उदयपुर	97	95	0	2	0	4184
67	जिला कलक्टर अजमेर	664	649	0	0	15	6550
68	जिला कलक्टर भरतपुर	571	571	0	0	0	6650
69	जिला कलक्टर बीकानेर	883	763	80	40	0	6892
70	जिला कलक्टर बांसवाडा	250	224	6	17	3	4969
71	जिला कलक्टर बाडमेर	1129	818	16	285	10	21537
72	जिला कलक्टर भीलवाडा	1013	947	10	51	5	46937
73	जिला कलक्टर बूंदी	231	225	6	0	0	2400
74	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	345	272	35	0	38	2520
75	जिला कलक्टर चुरू	556	475	51	5	25	6496
76	जिला कलक्टर दौसा	304	106	51	19	128	2770
77	जिला कलक्टर धौलपुर	155	139	0	16	0	2854
78	जिला कलक्टर डूंगरपुर	157	145	12	0	0	1932
79	जिला कलक्टर हनुमानगढ़	550	413	16	111	10	3660
80	जिला कलक्टर जैसलमेर	224	188	20	6	10	4860

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2022 में प्राप्त राजस्व (रुपयों में)
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
81	जिला कलक्टर झालावाड	312	300	0	8	4	3926
82	जिला कलक्टर झुन्झुनू	969	930	5	23	11	8080
83	जिला कलक्टर करौली	561	529	32	0	0	4766
84	जिला कलक्टर नागौर	1317	1200	14	68	35	28384
85	जिला कलक्टर राजसमन्द	654	606	20	20	8	14175
86	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	677	669	3	5	0	6666
87	जिला कलक्टर सीकर	535	512	11	1	11	11690
88	जिला कलक्टर सिरोही	265	225	8	0	32	2204
89	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर	864	695	76	82	11	8104
90	जिला कलक्टर टोंक	551	551	0	0	0	3861
91	जिला कलक्टर प्रतापगढ़	514	480	4	3	27	7344
92	जिला कलक्टर उदयपुर	937	827	61	4	45	39436
		172027	150594	8967	5657	6809	5175448

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका निस्तारण वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022)

प्रपत्र -ख

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	96	88	3	5
2	आयुर्वेद विभाग	273	225	38	10
3	गृह विभाग	2402	605	1730	67
4	वित्त विभाग	1634	1145	238	251
5	पर्यावरण विभाग	0	0	0	0
6	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	56	56	0	0
7	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग	14	3	11	0
8	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1327	458	619	250
9	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	0	0	0	0
10	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	86	70	10	6
11	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	53	53	0	0
12	राज. शिक्षा कर्मी बोर्ड	17	5	12	0
13	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	7	4	0	3
14	आयोजना विभाग	55	47	7	1
15	एच.सी.एम. रीपा	6	6	0	0
16	विधि, विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	50	11	33	6
17	उर्जा विभाग	1419	1237	91	91
18	जल संसाधन विभाग	124	101	22	1
19	तकनीकी शिक्षा विभाग	115	115	0	0
20	राजभवन, जयपुर	35	0	35	0
21	सामान्य प्रशासन विभाग	453	434	8	11
22	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	121	74	42	5
23	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	21	21	0	0
24	सहकारिता विभाग	436	434	2	0
25	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	206	75	115	16

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
26	कृषि विभाग	210	103	90	17
27	सार्वजनिक निर्माण विभाग	418	375	38	5
28	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	26	21	5	0
29	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	160	144	12	4
30	पर्यटन विभाग	9	3	4	2
31	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	100	70	25	5
32	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	215	201	14	0
33	उच्च शिक्षा विभाग	356	351	0	5
34	देवस्थान विभाग	97	40	57	0
35	वन विभाग	249	154	87	8
36	निर्वाचन विभाग	179	109	57	13
37	राजस्थान राज्य महिला आयोग	2	0	2	0
38	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	12	12	0	0
39	कार्मिक विभाग	115	115	0	0
40	खान एवं पेट्रोलियम विभाग	249	132	66	51
41	चिकित्सा शिक्षा विभाग	275	244	28	3
42	परिवहन विभाग	216	208	0	8
43	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	40	39	0	1
44	स्वायत्त शासन विभाग	2304	1174	596	534
45	पशुपालन विभाग	28	27	1	0
46	कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	19	16	3	0
47	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	0	0	0	0
48	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	231	231	0	0
49	युवा एवं खेल मामले विभाग	10	10	0	0
50	लोकायुक्त सचिवालय	58	4	54	0
51	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	118	113	4	1
52	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	132	4	127	1
53	उपनिवेशन विभाग	52	16	33	3

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
54	सैनिक कल्याण विभाग	16	16	0	0
55	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	7	7	0	0
56	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	7	4	3	0
57	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0
58	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	102	63	39	0
59	पंचायतीराज विभाग	1981	1459	311	211
60	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	7	7	0	0
61	संभागीय आयुक्त जयपुर	22	0	13	9
62	संभागीय आयुक्त जोधपुर	7	0	7	0
63	संभागीय आयुक्त भरतपुर	2	2	0	0
64	संभागीय आयुक्त कोटा	6	1	2	3
65	संभागीय आयुक्त अजमेर	12	10	2	0
66	संभागीय आयुक्त उदयपुर	7	0	7	0
67	जिला कलक्टर अजमेर	153	17	135	1
68	जिला कलक्टर भरतपुर	109	26	78	5
69	जिला कलक्टर बीकानेर	152	71	60	21
70	जिला कलक्टर बांसवाडा	24	6	18	0
71	जिला कलक्टर बाडमेर	194	32	151	11
72	जिला कलक्टर भीलवाडा	106	40	57	9
73	जिला कलक्टर बूंदी	49	6	43	0
74	जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़	94	43	50	1
75	जिला कलक्टर चुरू	75	75	0	0
76	जिला कलक्टर दौसा	142	89	45	8
77	जिला कलक्टर धौलपुर	10	10	0	0
78	जिला कलक्टर डूंगरपुर	17	12	0	5
79	जिला कलक्टर हनुमानगढ़	83	24	57	2
80	जिला कलक्टर जैसलमेर	33	9	18	6
81	जिला कलक्टर झालावाड	31	5	26	0

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णीत		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4	5	6
82	जिला कलक्टर झुन्झुनू	133	41	89	3
83	जिला कलक्टर करौली	87	10	56	21
84	जिला कलक्टर नागौर	185	99	86	0
85	जिला कलक्टर राजसमन्द	58	45	2	11
86	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	150	95	52	3
87	जिला कलक्टर सीकर	119	119	0	0
88	जिला कलक्टर सिरोही	82	50	32	0
89	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर	204	31	51	122
90	जिला कलक्टर टोंक	53	7	40	6
91	जिला कलक्टर प्रतापगढ	33	29	3	1
92	जिला कलक्टर उदयपुर	190	119	66	5
		19628	11862	5918	1848

विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022) में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सन्दर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

प्रपत्र – ग

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	राजस्व मण्डल, अजमेर	0	0	0	0
2	आयुर्वेद विभाग	0	0	0	0
3	वित्त विभाग	0	0	0	0
4	पर्यावरण विभाग	0	0	0	0
5	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	0	0	0	0
6	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	0	0	0	0
7	राज. राज्य पाठ्यपुस्तक मण्डल, जयपुर	0	0	0	0
8	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर	0	0	0	0
9	राज. राज्य मानवाधिकार आयोग	0	0	0	0
10	राज. शिक्षा कर्मी बोर्ड	0	0	0	0
11	राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग	0	0	0	0
12	आयोजना विभाग	0	0	0	0
13	एच.सी.एम. रीपा	0	0	0	0
14	विधि, विधिक एवं संसदीय कार्य विभाग	0	0	0	0
15	उर्जा विभाग	0	0	0	0
16	जल संसाधन विभाग	0	0	0	0
17	तकनीकी शिक्षा विभाग	0	0	0	0
18	राजभवन, जयपुर	0	0	0	0
19	सामान्य प्रशासन विभाग	0	0	0	0
20	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर	0	0	0	0
21	जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग	0	0	0	0
22	सहकारिता विभाग	0	0	0	0
23	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर	0	0	0	0
24	कृषि विभाग	0	0	0	0
25	सार्वजनिक निर्माण विभाग	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकारण	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
26	आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग	0	0	0	0
27	श्रम, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग	0	0	0	0
28	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	0	0	0	
29	राजस्थान राज्य सूचना आयोग	0	0	0	0
30	उच्च शिक्षा विभाग	0	0	0	0
31	देवस्थान विभाग	0	0	0	0
32	निर्वाचन विभाग	0	0	0	0
33	राजस्थान राज्य महिला आयोग	0	0	0	0
34	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	0	0	0	0
35	कार्मिक विभाग	0	0	0	0
36	चिकित्सा शिक्षा विभाग	0	0	0	0
37	परिवहन विभाग	0	0	0	0
38	कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग	0	0	0	0
39	पशुपालन विभाग	0	0	0	0
40	कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं जल उपयोगिता विभाग	0	0	0	0
41	आवासीय आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली	0	0	0	0
42	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग	0	0	0	0
43	युवा एवं खेल मामले विभाग	0	0	0	0
44	लोकायुक्त सचिवालय	0	0	0	0
45	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग	0	0	0	0
46	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल	0	0	0	0
47	उपनिवेशन विभाग	0	0	0	0
48	सैनिक कल्याण विभाग	0	0	0	0
49	जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग	0	0	0	0
50	आयुक्तालय महिला अधिकारिता विभाग	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
51	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	0	0	0	0
52	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	0	0	0	0
53	मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग	0	0	0	0
54	संभागीय आयुक्त जयपुर	0	0	0	0
55	संभागीय आयुक्त जोधपुर	0	0	0	0
56	संभागीय आयुक्त भरतपुर	0	0	0	0
57	संभागीय आयुक्त कोटा	0	0	0	0
58	संभागीय आयुक्त अजमेर	0	0	0	0
59	संभागीय आयुक्त उदयपुर	0	0	0	0
60	जिला कलक्टर अजमेर	0	0	0	0
61	जिला कलक्टर भरतपुर	0	0	0	0
62	जिला कलक्टर बीकानेर	0	0	0	0
63	जिला कलक्टर बांसवाडा	0	0	0	0
64	जिला कलक्टर बाडमेर	0	0	0	0
65	जिला कलक्टर भीलवाडा	0	0	0	0
66	जिला कलक्टर बूंदी	0	0	0	0
67	जिला कलक्टर चित्तौडगढ़	0	0	0	0
68	जिला कलक्टर चुरु	0	0	0	0
69	जिला कलक्टर दौसा	0	0	0	0
70	जिला कलक्टर धौलपुर	0	0	0	0
71	जिला कलक्टर डूंगरपुर	0	0	0	0
72	जिला कलक्टर हनुमानगढ़	0	0	0	0
73	जिला कलक्टर झालावाड	0	0	0	0
74	जिला कलक्टर झुन्झुनू	0	0	0	0
75	जिला कलक्टर करौली	0	0	0	0

क्र. सं.	विभाग / लोक प्राधिकारण	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
76	जिला कलक्टर नागौर	0	0	0	0
77	जिला कलक्टर राजसमन्द	0	0	0	0
78	जिला कलक्टर सवाई माधोपुर	0	0	0	0
79	जिला कलक्टर सीकर	0	0	0	0
80	जिला कलक्टर सिरोही	0	0	0	0
81	जिला कलक्टर टोंक	0	0	0	0
82	जिला कलक्टर प्रतापगढ़	0	0	0	0
83	जिला कलक्टर उदयपुर	0	0	0	0

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे आंशिक/अपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है
सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण
वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022)

प्रपत्र – घ

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2022 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	समयावधि में	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	6945	6526	277	111	31	100899
2	राजस्व विभाग	864	856	1	7	0	41139
		7809	7382	278	118	31	142038

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका
निस्तारण वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022)

क्र.सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	कुल प्राप्त प्रथम अपील	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	267	249	18	0
2	राजस्व विभाग	151	135	15	1
		418	384	33	1

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है
सूचना हेतु प्राप्त आवेदन एवं उनके निस्तारण का विवरण
वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022) तक

प्रपत्र – ड

क्र. सं.	विभाग/लोक प्राधिकरण	प्राप्त आवेदन	प्रदत्त सूचना				वर्ष 2022 में प्राप्त राजस्व
		कुल संख्या	समयावधि	समयावधि के बाद	अस्वीकृत	शेष	
1	समेकित बाल विकास विभाग						
2	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग						
3	ग्रामीण विकास विभाग						
4	उद्योग विभाग						
5	नगर निगम, जयपुर						
6	संस्कृत शिक्षा विभाग						
7	नगरीय विकास विभाग(स्वायत्त शासन विभाग को छोड़कर)						
8	शिक्षा विभाग						
9	संभागीय आयुक्त बीकानेर						
10	जिला कलक्टर जयपुर						
11	जिला कलक्टर जोधपुर						
12	जिला कलक्टर कोटा						
13	जिला कलक्टर अलवर						
14	जिला कलक्टर बारां						
15	जिला कलक्टर जालोर						
16	जिला कलक्टर पाली						

**विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उनका
निस्तारण वर्ष 2022 (01 जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022)**

प्रपत्र – च

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण/विभाग	कुल योग	निर्णित		लम्बित
			स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	समेकित बाल विकास विभाग				
2	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग				
3	ग्रामीण विकास विभाग				
4	उद्योग विभाग				
5	नगर निगम, जयपुर				
6	संस्कृत शिक्षा विभाग				
7	नगरीय विकास विभाग(स्वायत्त शासन विभाग को छोड़कर)				
8	शिक्षा विभाग				
9	संभागीय आयुक्त बीकानेर				
10	जिला कलक्टर जयपुर				
11	जिला कलक्टर जोधपुर				
12	जिला कलक्टर कोटा				
13	जिला कलक्टर अलवर				
14	जिला कलक्टर बारां				
15	जिला कलक्टर जालोर				
16	जिला कलक्टर पाली				

विभाग/लोक प्राधिकरण जिनसे सूचना प्राप्त नहीं हुई है
विभाग/लोक प्राधिकरण के अन्तर्गत वर्ष 2022
(01जनवरी, 2022 से 31 दिसम्बर, 2022) में सूचना का अधिकार
अधिनियम, 2005 के सन्दर्भ में की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही का विवरण

प्रपत्र – छ

क्र. सं.	लोक प्राधिकरण/विभाग	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	अधिकारी/कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1	गृह विभाग				
2	अल्प संख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग				
3	पर्यटन विभाग				
4	वन विभाग				
5	खान एवं पेट्रोलियम विभाग				
6	स्वायत्त शासन विभाग				
7	राजस्व विभाग				
8	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग				
9	समेकित बाल विकास विभाग				
10	जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग				
11	ग्रामीण विकास विभाग				
12	उद्योग विभाग				
13	नगर निगम, जयपुर				
14	संस्कृत शिक्षा विभाग				
15	नगरीय विकास विभाग (स्वायत्त शासन विभाग को छोड़कर)				
16	शिक्षा विभाग				
17	पंचायतीराज विभाग				
18	संभागीय आयुक्त बीकानेर				
19	जिला कलक्टर जैसलमेर				
20	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर				

क्र. सं.	विभाग का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	अधिकारी / कर्मचारी का पदनाम	कार्यवाही का विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
21	जिला कलक्टर जयपुर				
22	जिला कलक्टर जोधपुर				
23	जिला कलक्टर कोटा				
24	जिला कलक्टर अलवर				
25	जिला कलक्टर बारां				
26	जिला कलक्टर जालोर				
27	जिला कलक्टर पाली				

यथेमां वाचं कल्याणीम् - आवदानि जनेभ्यः
(यजुर्वेद)

अर्थात्

यह जानकारी मैं जन-जन को दूँगा
क्योंकि यही हितकारी होगा।

समोऽतं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः

श्रीमद्भगवतगीता

अर्थात्

मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, न ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ।
मैं सभी के लिये समभाव हूँ।



